



उत्तरांचल शासन

मुख्यमंत्री

श्री नारायण दत्त तिवारी

का

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के बजट अनुमानों

पर

बजट भाषण

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
भारत निर्माण में उत्तरांचल निर्माण	2
आर्थिक परिवेश	2
वार्षिक योजना	5
12वाँ वित्त आयोग	6
वित्तीय सुधार कार्यक्रम	8
संस्थागत वित्त	10
राजकोषीय सेवार्य	11
व्यापार कर	12
आबकारी	14
परिवहन	15
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	16
मनोरंजन कर	16
अवस्थापना सुविधाओं का विकास	17
सड़क एवं सेतु	17
ऊर्जा	19
पेयजल	22
सिंचाई	23
सूचना प्रौद्योगिकी	25
औद्योगिक विकास	27
भूतत्व एवं खनिकर्म	30
राजकीय मुद्रणालय रुड़की	31
मानव संसाधन विकास	31
प्राथमिक शिक्षा	31
माध्यमिक शिक्षा	33
उच्च शिक्षा	34
संस्कृत शिक्षा	34
प्राविधिक शिक्षा	35
खेल तथा युवा कल्याण	37
संस्कृति	37
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	38
आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा	40
आवास एवं नगर विकास	41
पर्यटन	42

विषय	पृष्ठ संख्या
कल्याण योजनाएं	45
समाज कल्याण	45
अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का कल्याण	46
अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण	48
विकलांग कल्याण	49
अल्पसंख्यक कल्याण	49
सैनिक कल्याण	50
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण	51
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास	52
कृषि एवं औद्योगिकी विकास	53
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	55
रेशम विकास	56
पशुपालन एवं दुग्ध विकास	57
मत्स्य विकास	58
ग्राम्य विकास	58
पंचायती राज	60
विधायक निधि	61
सहकारिता	61
वन एवं पर्यावरण	62
नियोजन	63
कर्मचारी कल्याण	64
सामान्य प्रशासनिक सेवाएँ	65
न्याय प्रशासन	65
राजस्व प्रशासन एवं सामान्य प्रबंधन	65
पुलिस एवं जेल	66
होमगार्ड्स	68
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	68
श्रम तथा सेवायोजन	69
सूचना एवं लोक सम्पर्क	70
समाज के निर्बल वर्गों के हितार्थ कार्यक्रम	71
वर्ष 2005-06 के बजट का वित्तीय विवरण	
प्राप्तियाँ	77
व्यय	78
समेकित निधि का घाटा	79
लोक लेखा से समायोजन	79
अन्तिम शेष	80

मा० अध्यक्ष महोदय,

मैं, आपकी अनुमति से इस परम् सम्मानित सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष 2005-06 का बजट तथा एक माह के लिए लेखानुदान प्रस्तुत कर रहा हूँ।

सर्वप्रथम मैं, 26 दिसम्बर, 2004 को देश के दक्षिणी भागों व अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूहों में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को राज्य की ओर से हार्दिकतम संवेदना व सांत्वना प्रेषित करता हूँ। साथ ही मैं प्रदेश की जनता एवं इस सदन के सम्मानित सदस्यों द्वारा इस प्राकृतिक आपदा के अवसर पर मुक्त-हस्त से प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए लगातार दिए जा रहे योगदान के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस परम् सम्मानित सदन के समक्ष प्रदेश की प्रथम निर्वाचित सरकार का लगातार चौथा बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। केन्द्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन की सरकार का

दूसरा बजट इस वर्ष प्रस्तुत किया गया है जिसमें संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार की प्राथमिकताएं एवं रणनीति स्पष्ट की गई हैं।

भारत निर्माण में उत्तरांचल निर्माण

केन्द्र सरकार द्वारा अपने बजट में "भारत निर्माण" की एक दूरगामी रूपरेखा प्रस्तुत की गई है जिसमें चार वर्ष की अवधि में सिंचाई, सड़कें, जलापूर्ति, आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण दूर संचार संयोजकता के क्षेत्र में वर्ष 2009 तक उच्च लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा घोषित कार्यक्रमों के मार्ग-दर्शक सिद्धान्त प्राप्त होते ही हम इन योजनाओं का भी लाभ उठाते हुए "भारत निर्माण में उत्तरांचल निर्माण" के लिए अधिकाधिक समन्वयात्मक सहयोग व संसाधन प्राप्त कर इस उद्देश्य को प्राप्त करने का भरपूर प्रयास करेंगे।

आर्थिक परिवेश

सकल राज्य घरेलू उत्पाद, अर्थात् राज्य की सीमा के अन्तर्गत उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य,

किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का मुख्य माप-दण्ड है। गत 10 वर्षों में राज्य की विकास दर को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 'सकल घरेलू उत्पाद' की दर जहां उत्तर प्रदेश के भाग के रूप में रहते हुए वर्ष 1995-96 में ऋणात्मक (माइनस) रही वहीं वर्ष 1996-97 में कतिपय बढ़ोत्तरी के साथ वर्ष 1999-2000 तक एक से दो प्रतिशत के मध्य रही। राज्य गठन के पश्चात सकल घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक वृद्धि दर लगभग 6.19 प्रतिशत रही है। राष्ट्रीय विकास की दर वर्ष 2004-2005 में लगभग 6.9 प्रतिशत अनुमानित है। इस स्तर तक पहुंचने तथा इससे भी आगे बढ़ने के लिए हम सबको मिलकर निरन्तर प्रयास जारी रखना होगा। राज्य बनने से पूर्व वर्ष 1999-2000 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर रु0 11306 थी, जो वर्ष 2000-2001 में रु0 12768, वर्ष 2001-2002 में रु0 13263, वर्ष 2002-2003 में रु0 13945 तथा वर्ष 2003-2004 में रु0 15125 रही। इस प्रकार राज्य की प्रति व्यक्ति आय में गत चार वर्षों में लगभग रु0 3819 की वृद्धि हुई है।

प्राथमिक (प्राइमरी) क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि, उद्यान तथा पशुपालन, वानिकी, मत्स्य एवं खनन क्षेत्र आते हैं, जिनका राज्य की अर्थ व्यवस्था में योगदान लगभग 31 प्रतिशत से 37 प्रतिशत तक रहा है।

द्वितीयक (सेकण्डरी) क्षेत्र में मुख्य रूप से विनिर्माण, उद्योग, निर्माण, विद्युत तथा जलापूर्ति आदि से सम्बन्धित क्षेत्र आते हैं जिसमें 2000-2001 से 2003-04 तक 6.46 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि दर रही है। वर्ष 2003 में इस क्षेत्र का योगदान 22.76 प्रतिशत रहा है।

सेवा क्षेत्र (सर्विसेज सेक्टर) के अन्तर्गत परिवहन, संचार एवं व्यापार, वित्त एवं स्थावर सम्पदा (रियल इस्टेट), सामुदायिक एवं निजी सेवाओं के क्षेत्रों की सकल घरेलू उत्पाद में प्रमुख भागीदारी रही है। वर्ष 2000-2001 में सेवा क्षेत्र का योगदान 40.69 प्रतिशत रहा जो बढ़कर वर्ष 2003-04 में 45.55 प्रतिशत हो गया है।

वार्षिक योजना

वर्ष 2004-05 के लिए योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा रु0 1830.87 करोड़ की पुनरीक्षित योजना का अनुमोदन किया गया। वर्ष 2005-06 की वार्षिक योजना रु0 2700 करोड़ की निर्धारित की गई है जो लगभग रु0 870 करोड़ की वृद्धि परिलक्षित करती है जिसके लिए हम योजना आयोग के आभारी हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारम्भ किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आबंटन में वृद्धि सम्भावित है। इसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान, पेयजल तथा सफाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, सिंचाई, सड़क तथा सेतु, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम, मध्यान्ह भोजन योजना, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, स्व-सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त (माइक्रो फाइनेंस) आदि के क्षेत्र में भी अतिरिक्त प्राविधान केन्द्र सरकार

द्वारा किए जा रहे हैं। इन योजनाओं से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करते हुए इस वर्ष की वार्षिक योजना को रु0 3000 करोड़ से भी अधिक किए जाने का संकल्प है।

12वाँ वित्त आयोग

केन्द्र के 12वें वित्त आयोग द्वारा हमारी समस्याओं पर विचार करते हुए वर्ष 2005-2010 की अवधि में रु0 12194.34 करोड़ की धनराशि की सिफारिश की है जिसमें केन्द्रीय करों के अंश के रूप में रु0 5762.22 करोड़, राजस्व घाटा अनुदान के लिए रु0 5114.68 करोड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए रु0 50 करोड़, सड़कों एवं सेतुओं के अनुरक्षण के लिए रु0 324.56 करोड़, भवनों के अनुरक्षण के लिए रु0 97.60 करोड़, वनों के अनुरक्षण के लिए रु0 35 करोड़, पुरातत्व संरक्षण के लिए रु0 5 करोड़, राज्य की सन्दर्भित विशेष समस्याओं के लिए रु0 240 करोड़, स्थानीय निकायों तथा पंचायतों के लिए रु0 196 करोड़ तथा आपदा राहत के लिए रु0 369.28 करोड़ सम्मिलित हैं; जिसमें से भवनों

का रख-रखाव, पुरातत्व संरक्षण और राज्य की विशेष समस्याओं के लिए अनुदान वर्ष 2006-07 से तथा शेष मदों में इस वर्ष से चरणबद्ध रूप में प्राप्त होगा। यद्यपि राज्य की आवश्यकताएं इससे अधिक हैं परन्तु फिर भी अगले पांच वर्षों में राज्य को प्राप्त होने वाले संसाधनों की एक सीमा तक सुनिश्चितता हो गई है। इस संस्तुति के लिए हम 12वें वित्त आयोग के आभारी हैं। इस सदन के सम्मानित दलीय नेताओं एवं सदस्यगणों के द्वारा भी राज्य का पक्ष 12वें वित्त आयोग के समक्ष प्रभावी रूप से रखने के लिए हम आभारी हैं।

इसके फलस्वरूप हम आगामी पांच वर्षों में वार्षिक योजना का आकार बढ़ाते रहने में सक्षम हो सकेंगे क्योंकि आयोजनेत्तर व्ययों हेतु अधिक प्राप्ति होगी और राज्य की सकल घरेलू उत्पाद की स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर को राष्ट्रीय लक्ष्य 8 प्रतिशत तक पहुंचाने में सफल हो सकेंगे तथा जिस वित्तीय असंतुलन की स्थिति से हम गुजर रहे थे उसमें सुधार हो सकेगा।

गत वर्षों के बजट भाषण में मैंने इस सम्मानित सदन को अवगत कराया था कि 11वें वित्त आयोग की संस्तुतियों का पूरा लाभ प्राप्त न हो पाने के कारण राज्य सरकार को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाए थे क्योंकि 11वें वित्त आयोग की संस्तुतियाँ 1 अप्रैल, 2000 से लागू हुईं तथा उस समय राज्य का गठन न होने के कारण हमारा पक्ष प्रस्तुत ही नहीं हो सका था। केन्द्र सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता एवं अतिरिक्त बाजार ऋण की सुविधा उपलब्ध कराते हुए प्रदेश की वार्षिक योजनाओं में निरन्तर वृद्धि की गई जिसके लिए हम योजना आयोग एवं केन्द्र सरकार के आभारी हैं। इस निरन्तर वृद्धि को भविष्य के लिए भी, इस सम्मानित सदन के सहयोग से, जारी रखा जा सकेगा।

वित्तीय सुधार कार्यक्रम

विगत वर्षों में वित्तीय असंतुलन की स्थिति होते हुए भी राज्य सरकार द्वारा मध्यकालीन वित्तीय पुनर्संरचना नीति तैयार की गई तथा भारत सरकार के साथ

समझौता ज्ञापन किया गया। इसके फलस्वरूप, राज्यों की राजकोषीय सुधार सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2000 के बाद प्रथम तीन वर्षों के लिए रु0 24.59 करोड़ की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा अवमुक्त की गई है। 12वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2008-09 तक राजस्व घाटा शून्य करने की संस्तुति की गई है और इसी के क्रम में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम पारित करने की सिफारिश की गई है। तदनुकूल, राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन विधेयक इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

वित्तीय सुधार की प्रक्रिया में कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण, लेखा के संकलन व लेखा-परीक्षा कार्यों में समयबद्ध गुणवत्ता लाने इत्यादि क्षेत्रों में कम्प्यूटर आधारित प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है एवं वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं को भी वर्तमान आवश्यकतानुसार, संशोधित एवं अध्यावधिक किया जा रहा है। बाह्य सहायतित राजकोषीय प्रबन्धन एवं सुधार परियोजना के

अन्तर्गत वित्तीय प्रबन्धन के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी क्षमता का विकास किया जा रहा है।

संस्थागत वित्त

प्रदेश में ऋण जमा अनुपात बढ़ाकर अधिक पूंजी निवेश किए जाने हेतु निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की अब तक 16 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। प्रदेश में ऋण जमा अनुपात में निरन्तर वृद्धि हुई है और मार्च, 2003 में जो ऋण जमा अनुपात 24.8 प्रतिशत था वह मार्च, 2004 में बढ़कर 27.09 एवं 31 दिसम्बर, 2004 को 30.91 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच चुका है। केन्द्र सरकार की घोषित नीति के अनुसार 3 वर्षों में कृषि ऋण को दोगुना करने का लक्ष्य है। अतः इस वर्ष वार्षिक लक्ष्यों में वृद्धि कर अधिकाधिक कृषि ऋण वितरित कराया जा रहा है एवं भविष्य में भी पूर्ण लक्ष्य प्राप्ति के लिए बढ़ाया जाता रहेगा। प्रदेश में औद्योगीकरण में गति आने व कृषि ऋणों में विस्तार किए

जाने से भी ऋण जमा अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि सम्भावित है।

राष्ट्रीय बचत योजना के माध्यम से प्रदेश की वार्षिक योजना के लिए अधिकाधिक संसाधन जुटाने के लिए मेरी इस सदन के समस्त सम्मानित सदस्यों, जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों व नगरीय निकायों से अपील है कि वे राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत अधिकाधिक योगदान करें। अधिकाधिक योगदान करने वाली पंचायतों व नगर निकायों को प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार की भी व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में रु0 1000 करोड़ के पुनरीक्षित अनुमान के सापेक्ष वर्ष 2005—06 में रु0 1100 करोड़ का लक्ष्य है।

राजकोषीय सेवाएं

राज्य की राजकोषीय सेवाओं में व्यापार कर, आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क तथा मनोरंजन कर प्रमुख हैं। इस क्षेत्रों में कोई नया कर

लगाने का प्रस्ताव नहीं है तथा करदाताओं के सहयोग, प्रक्रियाओं के सरलीकरण एवं वर्तमान नियमों के प्रभावी प्रवर्तन से अधिकाधिक प्राप्तियों के लक्ष्य रखे गए हैं।

व्यापार कर

व्यापार कर का राज्य की राजस्व प्राप्तियों में महत्वपूर्ण योगदान है एवं राज्य गठन के उपरान्त व्यापार कर में गत वर्षों में उत्साहवर्धक प्रगति परिलक्षित हुई है। वर्ष 2001-02 में रु0 486.20 करोड़, वर्ष 2002-03 में रु0 551.06 करोड़ तथा वर्ष 2003-04 में रु0 661.96 करोड़ की प्राप्ति हुई है जिसके लिए हम समस्त व्यापार करदाताओं का आभार व्यक्त करते हैं। व्यापार कर से वित्तीय वर्ष 2004-05 के पुनरीक्षित अनुमान रु0 718.26 करोड़ है। इसके सापेक्ष वर्ष 2005-06 में रु0 890 करोड़ प्राप्ति का लक्ष्य है। पंजीकृत व्यापारियों के लिए बीमा कम्पनियों से विचार-विमर्श कर बीमा योजना इस वर्ष से लागू करना प्रस्तावित है।

व्यापारियों की सुविधा की दृष्टि से पंजीयन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है और छोटे-छोटे स्थानों तक भी कैम्प लगाकर पंजीयन कराने की व्यवस्था की गई जिसके फलस्वरूप 1-4-2000 को पंजीकृत करदाताओं की संख्या लगभग 38450 से बढ़कर अब तक 56000 से अधिक हो गई है।

रु0 25 लाख तक करयोग्य "टर्नओवर" तक के व्यापारियों के लिए स्वतः कर निर्धारण योजना (सेल्फ एसेसमेंट स्कीम) लागू की गई है जिसके अन्तर्गत करदाताओं के द्वारा दिए विवरण को सामान्यतः स्वीकार कर लिया जाता है। सरलता एवं सुविधा के दृष्टिकोण से ईट भट्टा, रोलर फ्लोर मिल, टेंट व्यवसायों एवं सिविल ठेकेदारों आदि के लिए समाधान योजना लागू की गई है।

राज्य में औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहित करने एवं निवेश वृद्धि के लिए ऐसी इकाईयों, जिनका प्लान्ट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश रु0 25 करोड़ तक है, के लिए केन्द्रीय बिक्री कर की दर 4 प्रतिशत से घटाकर

1 प्रतिशत कर दी गई है। इसी प्रकार उत्पादनकर्ता इकाईयों हेतु कच्चे माल की खरीद पर कर की दर 2.5 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत की गई है। व्यापार कर विभाग के कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण एवं प्रक्रियाओं में सुधार किया जा रहा है। उद्योग एवं व्यापार संगठनों की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति का गठन किया गया है एवं इसकी पहली बैठक हो चुकी है।

आबकारी

आबकारी राज्य के राजस्व का दूसरा प्रमुख स्रोत है। अवैध व्यापार एवं तस्करी पर नियंत्रण करने के लिए विभाग का सुदृढीकरण किया जा रहा है। तकनीकी लैब की स्थापना एवं उपकरणों आदि के क्रय हेतु नई मांग से रु0 22 लाख की व्यवस्था की गई है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2004-05 के पुनरीक्षित अनुमान रु0 298.31 करोड़ की तुलना में वर्ष 2005-06 में रु0 357.96 करोड़ की प्राप्ति का लक्ष्य है।

परिवहन

राज्य में सड़क परिवहन ही आवागमन का प्रमुख स्रोत होने के कारण सड़क यातायात के योजनाबद्ध विकास तथा यातायातीय समस्याओं पर सलाह देने हेतु उत्तरांचल परिवहन एवं यातायात सलाहकार समिति का गठन किया गया है। उत्तरांचल परिवहन निगम का निरन्तर सुदृढीकरण किया जा रहा है तथा वित्तीय वर्ष 2005-06 में 200 नई बसों के क्रय का लक्ष्य रखा गया है। परिवहन निगम में अंशपूँजी निवेश/ ऋण के लिए आय-व्ययक में रु0 20 करोड़ की व्यवस्था है।

प्रदेश में मार्ग दुर्घटनाओं, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में मोटर दुर्घटनाओं में कमी करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं जिसके लिए यथा आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। परिवहन विभाग के भवनों के निर्माण के लिए नई मांग से रु0 4.00 करोड़ की व्यवस्था है। जनता को त्वरित सेवा प्रदान करने एवं विभाग के कार्यों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से विभाग के

कम्प्यूटरीकरण का कार्य किया जा रहा है। पूर्व से प्रभावी वाहन करों से वर्ष 2003-04 के पुनरीक्षित अनुमान रु0 93.50 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2005-06 में रु0 135 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है।

स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क

स्टाम्प एवं पंजीकरण में कम्प्यूटर आधारित प्रणाली का इस वर्ष विस्तार किया जाएगा और इस वित्तीय वर्ष में कुछ और स्थानों पर कम्प्यूटर आधारित प्रणाली लागू कर दी जाएगी जिसके लिए भवन निर्माण के कार्य अन्तिम चरण में हैं। वर्ष 2004-05 के पुनरीक्षित अनुमान रु0 153.26 करोड़ के सापेक्ष बढ़ते हुए संव्यवहारों के दृष्टिगत वर्ष 2005-06 में रु0 219.78 करोड़ का लक्ष्य है।

मनोरंजन कर

वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक अनुमान रु0 6.31 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2005-06 में मनोरंजन कर से रु0 5.50 करोड़ की प्राप्ति का लक्ष्य है। छवि गृहों में

दर्शकों की संख्या घटने तथा अनेक छवि गृहों के बन्द होने से छवि गृहों से प्राप्त राजस्व में कमी आई है। वर्तमान नियमों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित कर अधिक मनोरंजन कर की प्राप्ति का प्रयास किया जाएगा।

अवस्थापना सुविधाओं का विकास

मान्यवर,

प्रदेश की विकास दर में तेजी लाने के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास को हमने प्रारम्भ से ही विशेष प्राथमिकता दी है। इस वर्ष भी ऊर्जा, सड़क एवं सेतु, सिंचाई, जलापूर्ति, सूचना प्राद्योगिकी, रोजगारपरक उद्योग, पर्यटन, कृषि एवं औद्यानिकी विकास, चिकित्सा तथा शिक्षा आदि जो विकास की मौलिक आवश्यकताएं हैं को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

सड़क एवं सेतु

सड़क एवं सेतु के आयोजनागत परिव्यय में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि इस वर्ष की गई है। प्रदेश में प्रतिवर्ष मार्गों की लम्बाई में वृद्धि की जा रही है तथा

इनकी राइडिंग गुणवत्ता में निरन्तर सुधार किया जा रहा है । वर्ष 2005-2006 में 450 कि०मी० नये मार्ग निर्माण तथा 930 कि०मी० पुनः निर्माण एवं सुधार एवं 79 सेतुओं के निर्माण का लक्ष्य है। इस प्रकार निर्माणाधीन एवं नए सड़क निर्माण कार्यों के लिए लगभग रु० 328 करोड़ का प्राविधान है। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्यों हेतु रु० 40 करोड़ चालू एवं नए निर्माण कार्यों हेतु अलग से प्राविधानित है।

उपरोक्त में इंटर-स्टेट कनेक्टिविटी योजना के अन्तर्गत रु० 5.90 करोड़, आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए रु० 2.95 करोड़ तथा केन्द्रीय सड़क निधि की योजनाओं के लिए रु० 11.14 करोड़ का प्राविधान है।

ऐसे मार्गों एवं सेतुओं का, जिनकी लागत काफी अधिक है, विश्व बैंक तथा एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से वित्त पोषण कराये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। सम्भावना है कि जनवरी, 2006 से एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से वित्त पोषण प्रारम्भ हो जायेगा। प्रदेश में राष्ट्रीय

राजमार्गों के विस्तार एवं सुदृढीकरण के लिए भी हम प्रयासरत हैं तथा घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए संसाधन प्राप्त करने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जा रहा है।

ऊर्जा

राज्य की अपार जल विद्युत सम्भावना का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार निरन्तर प्रयासरत है। इसके अधीन वर्तमान में 5307 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं एवं 4480 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाएं निर्माण हेतु आबंटित हैं। 100 मेगावाट से कम क्षमता वाली कुल 1220.60 मेगावाट की 15 परियोजनाओं के आबंटन की प्रक्रिया प्रगति में है। जल विद्युत परियोजनाओं का विकास व निर्माण उत्तरांचल जल विद्युत निगम द्वारा किए जाने हेतु 2232.90 मेगावाट की विभिन्न श्रेणी की 26 परियोजनाएं आबंटित हैं। इन कार्यों के लिए अंशपूंजी हेतु रु0 100.00 करोड़ का प्राविधान है। ऊर्जा विकास निधि

में भी रु0 100 करोड़ का प्राविधान है जिससे जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध होगी तथा जल विद्युत निगम द्वारा संस्थागत स्रोतों से भी वांछित संसाधन जुटाए जाएंगे।

हम मा0 केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा विभाग तथा केन्द्र सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एन0एच0पी0सी0), राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम (एन0टी0पी0सी0) तथा टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (टी0एच0डी0सी0) के आभारी हैं जिन्होंने वर्तमान में उन्हें आबंटित परियोजनाओं के साथ-साथ इस क्षेत्र में भविष्य में भी प्रदेश में अधिक निवेश करने के लिए सहमति व्यक्त की है। सतलुज जल विद्युत निगम से भी योजनाओं में निवेश करने के लिए वार्ता चल रही है। टिहरी जल विद्युत परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास के कार्य में भी तेजी लाई गई है ताकि विस्थापितों के पुनर्वास का कार्य शीघ्र पूर्ण हो सके और अगले वर्षों में इस परियोजना का लाभ राष्ट्र एवं प्रदेश को प्राप्त हो सके।

एशियन डेवलपमेंट बैंक (ए0डी0बी0) के वित्तीय सहयोग से प्रस्तावित लघु जल विद्युत परियोजनाओं, वर्तमान परियोजनाओं के आधुनिकीकरण एवं समेकित पारेषण (ट्रांसमिशन) तंत्र के निर्माण हेतु रु0 45 करोड़ का प्राविधान है। राज्य में पारेषण तंत्र के विस्तार एवं सुदृढीकरण के लिए नाबार्ड पोषित चालू योजना हेतु रु0 70 करोड़ का प्राविधान है।

भारत सरकार ने वर्ष 2007 तक प्रत्येक गांव के विद्युतीकरण हेतु एक नई योजना प्रारम्भ की है जिसके अधीन राज्य में ग्रिड द्वारा विद्युतीकरण हेतु शेष लगभग 782 गांवों तथा 504 पूर्व में विद्युतीकृत गांवों के अतिरिक्त विद्युतीकरण हेतु आर0ई0सी0 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विस्तृत परियोजनाएं आर0ई0सी0 को भेजी जा रही हैं। इसके लिये वर्ष 2005-06 में ग्रिड से विद्युतीकरण हेतु रु0 75 करोड़ का प्राविधान है। वर्ष 2005-06 हेतु दुर्गम क्षेत्रों में अवस्थित 151 गांव सौर ऊर्जा, 26 गांव माइक्रोहाइड्रिल व 5 गांव बायोमास ऊर्जा

से विद्युतीकरण का लक्ष्य है। 350 निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु रु0 2.25 करोड़ के अनुदान की व्यवस्था है।

पेयजल

प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। पेयजल क्षेत्र की सेवाओं में सुधार हेतु सरकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जनसहभागिता के आधार पर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के साथ-साथ स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में समग्र विकास किए जाने हेतु प्रतिबद्ध है।

ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 119.69 करोड़ का प्राविधान है जिसमें त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत रु0 22 करोड़, ग्रामीण सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत रु0 20 करोड़, जिला योजना के अन्तर्गत रु0 35 करोड़ तथा ग्रामीण पेयजल एवं जलोत्सारण योजनाओं के जीर्णोद्धार के लिए रु0 20 करोड़ का प्राविधान है। राज्य में हैण्ड पम्पों के

अधिष्ठापन के लिए जिला योजना के अन्तर्गत रु0 12 करोड़ का प्राविधान है।

शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए रु0 39.65 करोड़ का प्राविधान है। बाह्य सहायतित योजनाओं के अन्तर्गत रु0 9.65 करोड़, तथा स्वजलधारा कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 9 करोड़ का प्राविधान है। स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत रु0 18 करोड़ तथा ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत रु0 4 करोड़ का प्राविधान है।

सिंचाई

राज्य में सिंचाई सुविधा तथा सिंचाई संसाधनों में वृद्धि हेतु राज्य सरकार अपने वित्तीय संसाधनों के अतिरिक्त भारत सरकार, नाबार्ड एवं अन्य स्रोतों से भी अधिक से अधिक परियोजनाओं के पोषण हेतु सतत प्रयासरत है। मैदानी क्षेत्रों में सिंचन क्षमता में वृद्धि हेतु ट्यूबवैलों का निर्माण किया जा रहा है तथा नहरों के अन्तिम छोर पर क्षेत्र के किसानों को पानी सुलभ कराने

हेतु चरणबद्ध रूप से नहरों को पक्का किये जाने तथा इन्हें भूमिगत किए जाने हेतु कार्य चल रहा है।

मुख्य सिंचाई परियोजनाओं में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत रु0 12 करोड़, निर्माणाधीन नहरों के लिए रु0 14.57 करोड़, लघु डाल नहरों के पुनरोद्धार के लिए रु0 1.20 करोड़ तथा राजकीय नलकूपों के निर्माण के लिए रु0 4 करोड़ की व्यवस्था है। लघु सिंचाई के अन्तर्गत त्वरित सिंचाई लाभ योजना के अन्तर्गत रु0 55 करोड़ तथा हाईड्रम परियोजनाओं के लिए रु0 5 करोड़ का प्राविधान है।

नदियों में सुधार, कटाव एवं आपातकालीन कार्यों के लिए गत वर्ष के प्राविधान रु0 11.50 करोड़ को बढ़ाकर रु0 25.08 करोड़ किया गया है।

राज्य के अधिकांश जनपदों के पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी गूलों, हौज और हाइड्रम आदि के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 50 करोड़ का प्राविधान है

जिससे राज्य में लगभग 15 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता उपलब्ध हो जायेगी। उक्त के अतिरिक्त आर्टीजन कूपों एवं बोरिंग पम्प सैट के माध्यम से सिंचाई क्षमता में वृद्धि करके अतिरिक्त असिंचित क्षेत्रों को भी आच्छादित किये जाने को पूर्ववत् प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सहभागिता सिंचाई प्रबन्धन की व्यवस्था को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जायेगा तथा पंचायती राज संस्थाओं व उपभोक्ता समूहों की सहभागिता परियोजना चयन से लेकर उनके निर्माण, संचालन, एवं रख-रखाव में सुनिश्चित की जायेगी।

सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भी कार्य अब तक किए गए हैं वह आपके सामने हैं। हमारा सर्वप्रथम उद्देश्य, इस दिशा में उत्तरांचल के छात्रों के प्रारम्भिक ज्ञान व सक्षमता में संवर्धन करना है। इसी उद्देश्य से आरोही, शिखर इत्यादि परियोजनाएं चलाई गई हैं जिसके

अन्तर्गत अब तक आरोही से 12600 कम्प्यूटर स्थापित किए जा चुके हैं। इन योजनाओं के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। अगले वर्षों में हम राज्य के प्रत्येक महाविद्यालय में “डिजिटल लाइब्रेरी” की स्थापना करेंगे। साथ-साथ उपरोक्त सुविधा का उपयोग प्रत्येक छात्र को प्रचलित भाषाओं में दक्ष होने के लिए करेंगे ताकि रोजगारपरक सुविधा उपलब्ध हो सके।

उत्तरांचल की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश में डब्ल्यू0आई0एम0ए0एक्स0 (WIMAX) प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे बिना तार के राज्य में संयोजकता (कनेक्टिविटी) स्थापित हो सके। यह आधुनिकतम तकनीक है और इसके लिए इन्टेल के साथ समझौता किया जा चुका है। इस योजना के अन्तर्गत हम राज्य में निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। इससे हमारे दूरस्थ स्थानों को विशेष लाभ पहुँचेगा। उत्तरांचल इस तकनीक को लागू करने वाले देश के प्रथम राज्यों में होगा और इन्टरनेट की सुविधा से

प्रत्येक सघन आबादी का क्षेत्र जुड़ सके, यह हमारी परिकल्पना है।

समस्त विभागों में विभिन्न स्तरों पर कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार के लिए बाह्य सहायतित परियोजना के अन्तर्गत रु० 25 करोड़ तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजना के अन्तर्गत रु० 31 करोड़ का प्राविधान है। वर्ष 2005-06 में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए रु० 105.00 करोड़ का प्राविधान है।

औद्योगिक विकास

प्रदेश में रोजगार-परक उद्योगों के विकास के लिए बिजली, सड़क, पानी इत्यादि मूलभूत सुविधाओं के विकास के साथ उत्कृष्ट औद्योगिक आस्थानों के विकास का कार्य किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत देहरादून, हरिद्वार, पन्तनगर, कोटद्वार, सितारगंज आदि स्थानों पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। हरिद्वार में लगभग 2 हजार एकड़ क्षेत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें 500 इकाईयों का 750 से अधिक भू-खण्ड, जिसका कुल

क्षेत्रफल 630 एकड़ है, आबंटित किए गए हैं। द्वितीय चरण की भी 135 एकड़ भूमि 15 औद्योगिक इकाईयों को आबंटित की जा चुकी है जिसमें बड़े औद्योगिक घराने भी सम्मिलित हैं, जिससे इस आस्थान में लगभग रु0 2100 करोड़ का पूंजी निवेश एवं लगभग 29000 रोजगार सृजित होना अनुमानित है।

पन्तनगर में लगभग 3400 एकड़ भूमि में से 1500 एकड़ भूमि प्रथम चरण में विकसित की जा रही है जिसमें 136 औद्योगिक इकाईयों को आबंटन किया जा चुका है जिनके द्वारा लगभग रु0 500 करोड़ का पूंजी निवेश एवं लगभग 8000 रोजगार मिलना सम्भावित है। सिड्कुल द्वारा नए औद्योगिक आस्थानों के विकास के लिए रु0 90 करोड़ का प्राविधान है।

कोटद्वार में ग्रोथ सेंटर की स्थापना 100 एकड़ भूमि में की जा रही है जिसके लिए रु0 10 करोड़ का प्राविधान है। एकीकृत अवस्थापना केन्द्रों के लिए रु0 4 करोड़ का प्राविधान है। प्रदेश में निजी क्षेत्र में भी कुछ

स्थानों पर औद्योगिक आस्थान विकसित किए जा रहे हैं जिससे राज्य में और अधिक पूंजी निवेश तथा रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत इस वर्ष लगभग 5800 लाभार्थियों को ऋण वितरित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं तथा अगले वर्ष 7000 लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया है। क्लस्टर विकास योजना के अन्तर्गत रुड़की में एक केन्द्र की स्थापना हेतु नई मांग से रु0 45 लाख का प्राविधान है।

प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की सहायतार्थ नई मांग से रु0 1 करोड़ का प्राविधान है। दूरस्थ क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए राज्य पूंजी उपादान योजना के अन्तर्गत नई मांग से रु0 2.5 करोड़ का प्राविधान है। लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु ब्याज उपादान योजना के अन्तर्गत रु0 2 करोड़ तथा “प्रधानमंत्री रोजगार योजना—प्लस” योजना के अन्तर्गत रु0 1.25 करोड़ का

प्राविधान है। प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से मिनी टूल रुम की स्थापना हेतु नई मांग से रु0 1 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी के विकास के लिए पन्तनगर में बायोटेक्नोलॉजी पार्क विकसित किया जा रहा है तथा शीघ्र ही उत्तरांचल बायोटेक्नोलॉजी नीति घोषित की जाएगी। बायोटेक्नोलॉजी पार्क के विकास के लिए रु0 5 करोड़ का प्राविधान है। राज्य के अधिक पिछड़े क्षेत्रों में खादी एवं ग्रामोद्योग, जड़ी-बूटी उद्योग, फूलों की खेती आदि को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में अनिवासी भारतीयों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ0डी0आई0) को आकर्षित करने के लिए उपाय सुझाने हेतु एक सलाहकार समिति का गठन किया जा रहा है।

भूतत्व एवं खनिकर्म

राज्य की खनिज सम्पदा के विकास एवं उस पर आधारित उद्योगों की स्थापना के विषय में नियोजित रूप

से कार्यवाही की जाएगी। अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जा रही है। वर्ष 2004-2005 के पुनरीक्षित अनुमान रु0 31.23 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2005-2006 में रु0 40 करोड़ की प्राप्ति का लक्ष्य है।

राजकीय मुद्रणालय, रुड़की

राज्य के गठन के पश्चात राजकीय मुद्रणालय, रुड़की का आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण किया गया है। इस वर्ष मुद्रणालय के सुदृढीकरण हेतु रु0 2 करोड़ का प्राविधान है।

मानव संसाधन विकास

प्राथमिक शिक्षा

प्रदेश में जो बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं उन्हें शिक्षित किये जाने की योजना आगामी दो वर्षों में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए वर्ष 2005-06 में लगभग रु0 128 करोड़ का प्राविधान है जिसमें से राज्यांश के रूप में बजट में रु0 32.17 करोड़

प्राविधानित है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए रु0 1.50 करोड़ का प्राविधान है। मध्यान्ह भोजन योजना के लिए रु0 24.26 करोड़ का प्राविधान है। प्राथमिक शिक्षा में कक्षा एक से अंग्रेजी पाठ्यक्रम इस वर्ष लागू किया जायेगा जो क्रमिक रूप से आगे की कक्षाओं में भी प्रारम्भ किया जायेगा। विकलांग बच्चों को सामूहिक शिक्षा के अन्तर्गत चिकित्सीय परीक्षण कराकर सहायता उपकरण आदि उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

बालिका शिक्षा के उन्नयन हेतु असेवित विकास खण्डों में राजकीय कन्या विद्यालयों की स्थापना करने के अतिरिक्त बालिकाओं की शिक्षा को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत उर्दू भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए 267 उर्दू अध्यापकों के पदों का सृजन किया गया है तथा सभी जनपदों में अतिरिक्त आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण कराया जा रहा है। केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत भी मुस्लिम बाहुल्य

विकास खण्डों के 5 विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों की व्यवस्था प्रस्तावित है।

माध्यमिक शिक्षा

विद्यालयों के उच्चीकरण तथा नये विद्यालयों की स्थापना के द्वारा माध्यमिक शिक्षा का विस्तार किया जा रहा है। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए सुविधाओं का विस्तार एवं सुदृढीकरण किया जा रहा है। विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु रु0 8.22 करोड़, अधूरे भवनों के निर्माण इत्यादि के लिए रु0 4.70 करोड़, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए रु0 6 करोड़ की व्यवस्था है। विज्ञान अध्ययन के लिए सुविधा तथा नवीन प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए रु0 8 करोड़ की व्यवस्था है। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में कम्प्यूटर उपलब्ध कराकर तद्विषयक प्रशिक्षण की व्यवस्था कर कम्प्यूटर विद्या में अध्यापकों एवं छात्रों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अशासकीय विद्यालयों को

अनुदान सूची में लिए जाने हेतु लगभग रु0 8.60 करोड़ की व्यवस्था है।

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार सुलभ कराये जाने के उद्देश्य से परम्परागत विषयों के साथ-साथ रोजगारपरक व व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ किये जा रहे हैं। महाविद्यालयों के सुदृढीकरण हेतु भवन, प्रयोगशालाओं का निर्माण आदि के लिए रु0 5.16 करोड़ की व्यवस्था है। देहरादून में दून विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए रु0 1 करोड़ का प्राविधान है।

संस्कृत शिक्षा

प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के विस्तार हेतु भी हमारी सरकार प्रत्यनशील है। संस्कृत शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए कक्षा 3 से संस्कृत शिक्षा प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है तथा हरिद्वार में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए रु0 2 करोड़ का प्राविधान है। हरिद्वार स्थित संस्कृत अकादमी के माध्यम से आगामी वर्ष में

विश्व संस्कृत सम्मेलन आयोजित किए जाना प्रस्तावित है।

प्राविधिक शिक्षा

राज्य में सभी सहायता प्राप्त तथा निजी स्व-वित्त पोषित संस्थाओं में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों को एक ही विश्वविद्यालय के अन्तर्गत लाये जाने हेतु देहरादून में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए रु0 1.00 करोड़ का प्राविधान है। सभी तकनीकी पाठ्यक्रमों को उद्योगों के अनुरूप बनाने से अधिक से अधिक छात्रों को इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हो सकेंगे। तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 27.76 करोड़ की बाह्य सहायतित परियोजना स्वीकृत है जिससे प्रयोगशालाओं का उच्चीकरण, संकाय विकास, कनैक्टिविटी, संसाधनों की सहभागिता आदि कार्य सम्पादित होंगे जिसके लिए रु0 10.00 करोड़ का प्राविधान है।

बीरोंखाल जनपद पौड़ी, रुद्रप्रयाग, काण्डा जनपद बागेश्वर, गरुड़ जनपद बागेश्वर, गणाई गंगोली जनपद पिथौरागढ़ में राजकीय पालीटेक्नीक तथा गोपेश्वर जनपद चमोली में महिला पालीटेक्नीक की स्थापना के लिए नई मांग के माध्यम से व्यवस्था की गई है।

पन्तनगर इंजीनियरिंग कालेज के लिए रु0 6.05 करोड़, द्वाराहाट इंजीनियरिंग कालेज के लिए रु0 7.95 करोड़ तथा इंजीनियरिंग कालेज घुड़दौड़ी के लिए रु0 8.20 करोड़ का प्राविधान है। निजी क्षेत्र की भीमताल स्थित बिड़ला इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी का भी सहयोग प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में लिया जा रहा है। हैवलेट पेकार्ड / एम0आई0टी0 के सहयोग से कुमाऊँ विश्वविद्यालय, पन्तनगर और बिड़ला इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है। आई0आई0टी0 रुड़की के सहयोग से इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट व घुड़दौड़ी को बिड़ला इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी से सम्बद्ध किया जा रहा है तथा आई0टी0 इन्क्व्यूबेशन केन्द्र की स्थापना की जा रही है। निजी क्षेत्र

की ऐसी तकनीकी संस्थाओं को अनुदान हेतु रु0 50 लाख का प्राविधान है।

खेल तथा युवा कल्याण

प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं ताकि प्रदेश के युवाओं को शारीरिक एवं मानसिक विकास के समुचित अवसर उपलब्ध हो सकें। प्रदेश में खेलों के विकास के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम इत्यादि के निर्माण आदि के लिए रु0 6.50 करोड़ का प्राविधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियमों के निर्माण के लिए रु0 1 करोड़ का प्राविधान है। युवा कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत विकास कार्यों के लिए रु0 4.34 करोड़ का प्राविधान है।

संस्कृति

प्रदेश की समृद्ध संस्कृति एवं कला के संरक्षण एवं विकास के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में संग्रहालय की स्थापना के लिए रु0 1.50 करोड़ तथा महान विभूतियों की मूर्तियां तथा 'शहीद

स्मारकों की स्थापना के लिए रु0 75 लाख का प्राविधान है। साहित्य कला परिषद की स्थापना के लिए रु0 25 लाख का प्राविधान है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

राज्य में सभी के लिए स्वास्थ्य के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं जन सामान्य को सुलभ कराने हेतु सरकार निरन्तर प्रयासरत एवं कृत संकल्प है।

वर्ष 2005-2006 में 50 उप केन्द्र, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 5 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय तथा 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए रु0 17.70 करोड़ का प्राविधान है। तहसील स्तरीय दो चिकित्सालयों के उच्चीकरण का लक्ष्य रखा गया है। क्षय रोगाश्रम, भवाली को चैस्ट इन्स्टीट्यूट के रूप में उच्चीकृत करने तथा कतिपय अन्य बड़े चिकित्सालयों के नवीनीकरण एवं विस्तारीकरण हेतु रु0 5 करोड़ का प्राविधान है। प्रदेश के दूरस्थ उप केन्द्रों में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में फार्मासिस्टों के माध्यम से

चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नई मांग से रु0 53.57 लाख का प्राविधान है। केन्द्र सरकार ने दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सेवाओं के विस्तारीकरण का निर्णय लिया है जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का और विस्तार किया जायेगा।

विश्व बैंक पोषित उत्तरांचल हैल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत चिकित्सा इकाईयों के सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण हेतु रु0 35.53 करोड़ का प्राविधान है।

श्रीनगर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु अधिष्ठान मदों में रु0 1.41 करोड़ तथा भवन निर्माण के लिए रु0 3.50 करोड़ का प्राविधान है। रुद्रपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु चिकित्सालय के विस्तारीकरण के लिए रु0 6.50 करोड़ का प्राविधान है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा हेतु रु0 1 करोड़ का प्राविधान है।

आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा

प्रदेश में होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का विस्तार किया जा रहा है। आयुर्वेदिक कालेज हरिद्वार में पंचकर्म एवं शल्य चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने तथा चिकित्सालय के सुदृढीकरण हेतु नई मांग से लगभग रु0 50 लाख की व्यवस्था है। प्रदेश में औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए भी प्राविधान है। आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय का सुदृढीकरण किया जाएगा।

होम्योपैथिक चिकित्सालयों में मानसिक आघात केन्द्रों (ट्रौमा सेंटर) की स्थापना के लिए रु0 1.27 करोड़, त्वचा विज्ञान चिकित्सालयों की स्थापना के लिए रु0 2 करोड़ तथा मातृ शिशु कल्याण केन्द्रों की स्थापना के लिए रु0 6.08 करोड़ का प्राविधान नई मांग से किया गया है। 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना के लिए रु0 32.68 लाख का प्राविधान है।

आवास एवं नगर विकास

नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए नई मांग से रु0 50 करोड़, केन्द्र सहायतित अरबन लोकल बाडी रिफार्म्स इन्सेंटिव फण्ड के लिए रु0 4.18 करोड़ का प्राविधान है। नगरीय अवस्थापनाओं के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी ऋण लिए जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है, जिसके लिए बाह्य सहायतित परियोजना के लिए रु0 10 करोड़ का प्राविधान है। शहरी क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों से आए नागरिकों की सुविधा के लिए रैन बसेरा योजना प्रारम्भ की जा रही है जिसके लिए रु0 8 करोड़ एवं मलिन बस्ती सुधार योजना के लिए रु0 4.50 करोड़ का प्राविधान है। कम लागत के व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु अनुदान के लिए रु0 1.00 करोड़ का प्राविधान है। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित नैनीताल क्षेत्र की झीलों तथा बलिया नाला के सुधार के लिए रु0 48.88 करोड़ का प्राविधान है।

उत्तरांचल शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि हेतु रु0 5.82 करोड़ का प्राविधान है। गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत रु0 18 करोड़ का प्राविधान है। कुम्भ मेल क्षेत्र में सृजित परिसम्पत्तियों के सुरक्षा एवं अनुरक्षण हेतु रु0 2.42 करोड़ का प्राविधान है।

पर्यटन

माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस वर्ष पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तरांचल पर्यटन को "बेस्ट परफारमिंग स्टेट" एवार्ड 2004-05 दिया गया है। इसके अतिरिक्त ट्रेवल एण्ड टूरर फेयर कोलकाता, इण्डिया इण्टरनेशनल ट्रेवल मार्ट बंगलौर तथा ट्रेवल मार्ट चेन्नई में उत्तरांचल राज्य को "बेस्ट स्टाल अवार्ड", "डेस्टिनेशन आफ द इयर अवार्ड" एवं "बेस्ट डेकोरेटेड स्टाल अवार्ड" प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2004 में राज्य को "गैलिलियो एक्सप्रेस ट्रेवल एण्ड टूरिज्म 2004 एवार्ड" भी प्राप्त हुआ है।

पर्यटन के व्यापक प्रचार-प्रसार से एवं पर्यटन स्थलों पर विभिन्न सुविधाओं के विकास से प्रदेश में आने वाले देशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिससे प्रदेश में व्यापार, सेवा क्षेत्र, स्वरोजगार के अवसरों में अधिकाधिक वृद्धि हो रही है। प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार राज्य के गठन से अब तक रु0 190 करोड़ का पूंजी निवेश हो चुका है तथा लगभग रु0 195 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित है जिससे लगभग 4700 अतिरिक्त रोजगार सृजित हो रहे हैं। पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाओं को पर्यटन नीति के अनुरूप क्रियान्वित किया जा रहा है।

विभिन्न यात्रा मार्गों में यात्रा व्यवस्था हेतु आधारभूत सुविधाओं के निर्माण हेतु रु0 10 करोड़, चालू निर्माण कार्यों के लिए रु0 11.32 करोड़, जिला योजना के अन्तर्गत पर्यटन स्थलों के सौन्दर्यीकरण व विकास आदि के लिए रु0 4.50 करोड़ तथा पर्यटन विकास की नई योजनाओं के लिए रु0 6 करोड़ का प्राविधान है। केन्द्र सरकार द्वारा पौड़ी, खिर्सू, लैंसडाउन परिपथ के लिए

रु0 4.58 करोड़, पिथौरागढ़, मुनस्यारी, बेरीनाग परिपथ के लिए रु0 3.34 करोड़ तथा दयारा-बुग्याल के विकास के लिए रु0 4.29 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। माउंटेन एयर लाइन फिजिबिल्टी स्टडी कराने के लिए भी रु0 15 लाख की योजना है। पर्यटन विकास के लिए भारत सरकार का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। वर्ष 1990-91 से 2000-01 तक औसतन प्रति वर्ष केवल रु0 65 लाख की धनराशि के विपरीत राज्य गठन के उपरान्त प्रतिवर्ष लगभग रु0 7 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हो रही है जिसमें निरन्तर वृद्धि हो रही है।

ऋण उपादान/ स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अनुदान के लिए रु0 5 करोड़ का प्राविधान है। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रु0 26 लाख तथा पर्यटन विकास परिषद् को अनुदान के लिए रु0 5.90 करोड़ का प्राविधान है।

कल्याण योजनाएं

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों एवं समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सरकार निरन्तर प्रयासरत है। इन्हें विशेष संरक्षण देकर सामाजिक न्याय दिलाने, शोषण से बचाने तथा उनके शैक्षिक व आर्थिक विकास हेतु योजनाओं का और अधिक विस्तार किया जा रहा है, जिसका उल्लेख आगे किया जाएगा।

समाज कल्याण

वर्ष 2005-06 से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा महिलाओं के भरण-पोषण एवं उनके बच्चों की देख-रेख हेतु अनुदान के लिए पेंशन भुगतान हेतु लगभग 7350 नए लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन व विधवा भरण-पोषण अनुदान के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाएगा जिन्हें अब तक अनुदान प्राप्त नहीं हो पा रहा था।

अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का कल्याण

अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं के प्रभावी अनुश्रवण हेतु वर्ष 2004-05 में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान नियोजन प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। अगले वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जातियों का कल्याण के लिए एक अलग अनुदान संख्या 30 तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अनुदान संख्या 31 निर्धारित की गई है ताकि इन अनुदानों से सम्बन्धित योजनाओं का प्रभावी समन्वय, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण किया जा सके।

अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए इस वर्ष के आयोजनागत प्राविधान रु0 191.64 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2005-06 में रु0 263.51 करोड़ की व्यवस्था है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए इस वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान रु0 57.55 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2005-06 में रु0 77.79 करोड़ की व्यवस्था है।

अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु शिल्पी ग्रामों की स्थापना की जा रही है जिसके लिए अनुसूचित जाति के कल्याण के अन्तर्गत रु० 6.36 करोड़ तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए रु० 1.35 करोड़ का प्राविधान है। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के व्यक्तियों को जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत क्रमशः रु० 11.65 करोड़ एवं रु० 2.45 करोड़ का प्राविधान है।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के आश्रम पद्धति विद्यालयों के निर्माण हेतु रु० 1.10 करोड़ तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के आश्रम पद्धति विद्यालयों के निर्माण हेतु रु० 5 करोड़ का प्राविधान है। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में विभिन्न विभागीय योजनाओं के अतिरिक्त अवस्थापना सुविधाओं के विकास की योजना के अन्तर्गत रु० 56 करोड़ का प्राविधान है। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन तथा आवासहीन व्यक्तियों को भवन निर्माण की योजना के अन्तर्गत

निःशुल्क भूमि व आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। केन्द्र सरकार के द्वारा भी यह योजना लागू करना विचाराधीन है और केन्द्र सरकार के दिशा निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त इस केन्द्र पुरोनिधानित योजना का अधिकाधिक लाभ उठाया जाएगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण

प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा हेतु उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है तथा प्रदेश में निवासरत कुथलिया बोरा, घृत बाहती, चाहंग जातियों एवं खाल्टा व जौनपुरी तथा गोरखा समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु रु0 2.35 करोड़ का प्राविधान है। राज्य द्वारा गारण्टी प्रदान कर राष्ट्रीय पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

विकलांग कल्याण

समाज के इस वर्ग के लिए केन्द्र की सहायता से स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण तथा प्रशिक्षण सहित अन्य योजनाएं संचालित की जा रही हैं। कृत्रिम अंग / श्रवण यंत्र अनुदान योजना के अन्तर्गत रु0 9.55 लाख तथा विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत रु0 2.96 करोड़ का प्राविधान है।

अल्पसंख्यक कल्याण

हमारी सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रयासरत है। केन्द्र सरकार द्वारा सर्वशिक्षा अभियान तथा कस्तूरबा बालिका विद्यालय योजना के अन्तर्गत खोले जाने वाले नए विद्यालयों का एक निश्चित प्रतिशत अल्पसंख्यकों की प्रचुर आबादी वाले जिलों और विकास खण्डों में अवस्थित करने का निर्णय लिया गया है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा के माध्यम से मुख्य धारा में जोड़ने हेतु अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु रु0 5.18

करोड़ का प्राविधान है। पिरान कलियर (रुड़की) में हज हाउस के निर्माण के लिए रु0 2.75 करोड़ तथा कलियर शरीफ दरगाह परिसर के मास्टर प्लान के क्रियान्वयन हेतु रु0 1 करोड़ का प्राविधान है। मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए रु0 20 लाख का प्राविधान है। मुस्लिम एजुकेशन मिशन की स्थापना हेतु रु0 50 लाख का प्राविधान है। केन्द्र सरकार द्वारा घोषित नीति के तहत अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग की नई योजनाएं कार्यान्वित की जायेंगी।

सैनिक कल्याण

पूर्व सैनिकों की समस्याओं एवं आश्रितों के पुनर्वास की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए कम्प्यूटर, वाहन चालन एवं लिपिकीय कार्य हेतु प्रशिक्षण, कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पूर्व सैनिकों के आश्रितों को सेना, अर्द्ध सेना एवं पुलिस बल में भर्ती हेतु प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत रु0 20.60 लाख का प्राविधान है। पूर्व सैनिकों

तथा उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु कौशल वृद्धि एवं रोजगारपरक प्रशिक्षण हेतु रु० ८ लाख का प्राविधान है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिक एवं उनकी विधवाओं को पेंशन हेतु रु० ३ करोड़ का प्राविधान है तथा उन्हें अनुमन्य पेंशन रु० ५०० प्रतिमाह से बढ़ाकर रु० १००० प्रतिमाह की जाएगी। विभिन्न जनपदों में सैनिक विश्राम गृहों के निर्माण के लिए रु० २ करोड़ का प्राविधान है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उत्तराधिकारी कल्याण परिषद का गठन गत वर्ष किया गया था जिसके आवश्यक व्यय के लिए रु० २१.९१ लाख का प्राविधान है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके आश्रितों को पेंशन दिए जाने हेतु रु० १२.८० करोड़ का प्राविधान है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान तथा अन्य सहायता हेतु भी रु० १५ लाख का प्राविधान है।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास

समाज के उत्थान में मातृ शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। महिला सशक्तिकरण एवं कल्याण तथा बाल विकास को प्राथमिकता दी गई है।

केन्द्र सरकार द्वारा सहायतित बाल विकास परियोजनाओं का सुदृढीकरण किया गया है तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण कराए जा रहे हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से शिशुओं, कुपोषित बच्चों तथा गर्भवती माताओं को एक ही स्थान पर पुष्टाहार, चिकित्सा सुविधा तथा सामान्य परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

किशोरी शक्ति / एडोलोसेंट गर्ल्स योजना के क्रियान्वयन हेतु रु0 62.70 लाख, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को प्रशिक्षण के दौरान राशन की व्यवस्था हेतु रु0 1.20 करोड़, स्वयंसिद्धा योजना हेतु रु0 50 लाख, इन्दिरा महिला समेकित विकास योजना के लिए रु0 1 करोड़ का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त किशोर न्याय (बालकों का

संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत गृहों के निर्माण हेतु रु0 6 करोड़ का प्राविधान है।

कृषि एवं औद्यानिकी विकास

कृषि राज्य का एक मुख्य व्यवसाय ही नहीं अपितु पर्यावरण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अधिक उपजदायी प्रजाति के बीजों की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए घाटी क्षेत्र में उपजदायी प्रजाति के बीजोत्पादन की एक बृहद् कार्य योजना तैयार की गई है। पर्वतीय क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि के लिए विभिन्न फसलों के लिए अलग अलग "पैकेजेज ऑफ प्रैक्टिसेज" तैयार किये जाने हेतु रु0 1.00 करोड़ का प्राविधान है।

कृषि प्रचार प्रसार कार्यक्रम को एकीकृत करते हुए प्रचार प्रसार एवं दक्षता कार्यक्रम संचालित किया जाना प्रस्तावित है। केन्द्र सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) से प्रत्येक ग्राम में एक "ज्ञान केन्द्र" की स्थापना का निर्णय लिया है। इसका अधिकाधिक लाभ उठाकर कृषि प्रचार-प्रसार कार्यक्रम को

विस्तारित किया जाएगा। फसल बीमा योजना को भी अधिक से अधिक किसानों तक पहुँचाने का प्रयास किया जायेगा जिसके लिए रु0 40 लाख का प्राविधान है। पन्तनगर विश्वविद्यालय के लिए रु0 40.93 करोड़, भरसार औद्यानिक महाविद्यालय के लिए रु0 5 करोड़ की व्यवस्था है। पन्तनगर विश्वविद्यालय में बाह्य शोध केन्द्रों के निर्माण के लिए रु0 3 करोड़ का प्राविधान है। केन्द्र पोषित माइक्रोमोड परियोजना के लिए रु0 25 करोड़ का प्राविधान है।

बाह्य सहायतित जलागम विकास परियोजनाओं के लिए रु0 35.09 करोड़ का प्राविधान है।

औद्यानिकी विकास के अन्तर्गत फलों, शाक भाजी तथा आलू के उत्पादन में वृद्धि किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। सुगन्ध एवं औषधीय पौधों के विकास सम्बन्धी योजनायें संचालित की जा रही हैं। राष्ट्रीय औषधीय बोर्ड एवं एपीडा से इस हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सहायता प्राप्त की जा रही है। राज्य

में चाय, रेशम तथा मधु आदि की क्षमता के दृष्टिकोण से इनके अधिकाधिक दोहन सम्बन्धित योजनायें तैयार किया जाना आगामी वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार हेतु इन विधाओं से जोड़ा जा सके। औद्यानिकी विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए आयोजनागत पक्ष में रु0 13.14 करोड़ का प्राविधान है। जड़ी-बूटी शोध संस्थान के लिए रु0 2 करोड़ की व्यवस्था है।

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास

प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा वर्ष 2002-2003 एवं 2003-2004 के गन्ना मूल्य का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है तथा वर्ष 2004-2005 के लगभग 94 प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है।

पेराई सत्र 2003-04 में सामान्य प्रजाति के गन्ने के लिए, रु0 95.00 प्रति कुन्तल की दर से गन्ना मूल्य घोषित किया गया था। पेराई सत्र 2004-05 हेतु साधारण प्रजाति के गन्ने के लिए रु0 107 प्रति कुन्तल की दर से

गन्ना मूल्य घोषित किया गया है। राज्य में शीघ्र पकने वाली प्रजातियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, अगेती प्रजाति के लिए रु0 112 प्रति कुन्तल की दर से गन्ना मूल्य घोषित किया गया है। बसन्तकालीन गन्ना बुआई में गन्ने की शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के गन्ने का बीज उपलब्ध कराने वाले कृषकों को प्रोत्साहन स्वरूप रु0 13 प्रति कुन्तल की दर से अतिरिक्त धनराशि दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है।

गन्ना विकास की योजनाओं के अन्तर्गत अन्तर्ग्रामीण सड़क योजनाओं के लिए रु0 50 लाख तथा गन्ना विकास की योजना के लिए रु0 22 लाख का प्राविधान है। भारत सरकार द्वारा चीनी उद्योग के पुनर्जीवीकरण हेतु प्रस्तावित वित्तीय पैकेज का भी समुचित लाभ प्राप्त किया जाएगा।

रेशम विकास

प्रदेश में रेशम उत्पादन में वृद्धि के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराई जा

रही है। शहतूती एवं गैर शहतूती विकास कार्यक्रमों में कृषकों, कीटपालकों को निजी कीटपालन निर्माण तथा कीट पालन हेतु सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही शहतूती टसर एवं ओकटसर, मूंगा तथा ऐसी सिल्क उत्पादन हेतु भोज्य पौधों का विकास, रोपण व सामुदायिक कीट पालन के लिए अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। रेशम विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए रु0 3.15 करोड़ का प्राविधान है।

पशुपालन एवं दुग्ध विकास

उत्तरांचल राज्य के पशुपालन व्यवसाय के परम्परागत रूप को सुदृढ़ करने तथा अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों को दवा तथा साज सज्जा से सुदृढ़ किया जा रहा है तथा पशुओं में होने वाले विभिन्न रोगों पर नियन्त्रण हेतु चिकित्सा व टीकाकरण आदि की सुविधा पशुपालक के द्वार पर ही उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रु0 10 लाख का प्राविधान

है। वाणिज्यिक रूप से योजनाओं को लाभप्रद बनाने के उद्देश्य से उत्तरांचल लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, उत्तरांचल भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड तथा उत्तरांचल पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है। पशुपालन की विभिन्न योजनाओं के लिए लगभग रु0 6.74 करोड़ का प्राविधान है तथा डेयरी विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए रु0 9.34 करोड़ का प्राविधान है।

मत्स्य विकास

प्रदेश में मत्स्य विकास कर ग्रामीण अंचल में प्रोटीन युक्त आहार की उपलब्धता, रोजगार एवं अतिरिक्त आय के साधनों का सृजन करने के उद्देश्य से मत्स्य विकास की अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। मत्स्य पालन की विभिन्न योजनाओं के लिए लगभग रु0 3.44 करोड़ का प्राविधान है।

ग्राम्य विकास

ग्राम्य विकास की योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न गरीबी उन्मूलन योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना हेतु रु0 12.64 करोड़, रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लिए लगभग रु0 22.07 करोड़ तथा राष्ट्रीय श्रम के बदले अनाज कार्यक्रम हेतु रु0 8 करोड़ का प्राविधान है। ग्रामीण आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना के लिए रु0 8.79 करोड़ का प्राविधान है। इन्टीग्रेटेड वेस्ट लैंड डेवलपमेंट, अन्य जलागम योजनाओं हेतु रु0 1.40 करोड़ का प्राविधान है। सूखा क्षेत्र हेतु रु0 6.31 करोड़ का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत लगभग रु0 29.88 करोड़ तथा जनजाति क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत लगभग रु0 5.18 करोड़ का प्राविधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भूमि अर्जन आदि के लिए राज्यांश के रूप में रु0 16.94 करोड़ का प्राविधान है। बाह्य सहायतित आईफैंड योजना हेतु रु0 6.16 करोड़ का प्राविधान है।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष में लगभग 15660 लाख मानव दिवस के सृजन का लक्ष्य है जिससे लगभग 52000 व्यक्तियों को वर्ष में 300 दिन रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। प्रदेश में 18500 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त (माइक्रो फाइनेन्स) में वृद्धि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित नीति का लाभ उठाते हुए की जाएगी।

पंचायती राज

संविधान के 73वें संशोधन के अनुसरण में पंचायतों को प्रशासकीय एवं वित्तीय रूप से सुदृढ़ किए जाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। क्षेत्र पंचायत स्तर पर विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु क्षेत्र निधि के गठन का निर्णय लिया गया है जिसके लिए प्रति क्षेत्र पंचायत रु0 25 लाख की व्यवस्था है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत भवनों की योजना के लिए रु0 30.10 करोड़ की व्यवस्था है। पंचायती राज संस्थाओं को समनुदेशन हेतु 12वें वित्त आयोग की संस्तुति पर रु0 44.50 करोड़ का प्राविधान

है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत रु0 37.38 करोड़ का प्राविधान है।

विधायक निधि

वर्ष 2005-06 में विधायक निधि के अन्तर्गत रु0 71 करोड़ का प्राविधान है।

सहकारिता

ग्रामीण क्षेत्रों में जिला सहकारी बैंकों तथा उनकी शाखाओं के माध्यम से फसली एवं गैर फसली ऋणों का तथा कृषि ऋण समितियों द्वारा ऋण वितरण, खाद, बीज वितरण आदि का कार्य कर सहकारिता क्षेत्र द्वारा प्रदेश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक लगभग रु0 600 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है। प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के लिए रु0 47.50 लाख का प्राविधान है। सहकारिता की विभिन्न योजनाओं के लिए रु0 20.84 करोड़ का प्राविधान है।

वन एवं पर्यावरण

प्रदेश का लगभग 64.5 प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है तथा वन विभाग की गतिविधियों को स्थानीय रोजगार सृजन का भी माध्यम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत जड़ी-बूटियों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों और वन पंचायतों के सहयोग से बांस प्रजातियों के रोपण की ग्रामीण रोजगार योजना के लिए रु0 10 करोड़ तथा जैटरोफा तथा अन्य बायोफ्युएल प्रजातियों के रोपण से ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत रु0 10 करोड़ की व्यवस्था है। इस वर्ष वन क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने, वन सम्पदा की सुरक्षा हेतु सुगम आवागमन की सुविधा प्रदान करने हेतु वन मोटर मार्गों के विशेष सुदृढीकरण की योजना आरम्भ की जा रही है जिसके लिए नई मांग से रु0 80 करोड़ का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त वन मोटर मार्गों के सामान्य कार्यों के लिए रु0 10 करोड़ का प्राविधान है। इको टूरिज्म के विकास के लिए लगभग रु0 4.43 करोड़ की व्यवस्था है।

गूरजों के पुनर्वास के लिए नई मांग से रु0 4 करोड़ की व्यवस्था की गई है। वन विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु रु0 11.50 करोड़ की व्यवस्था है। फोरेस्ट हास्पिटल ट्रस्ट /मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के लिए रु0 14.50 करोड़ का प्राविधान है।

नियोजन

बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 में प्रदेश देश के प्रथम पांच राज्यों में रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में नवीनतम प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य प्रथम स्थान पर है।

राज्य में आर्थिक गणना का काम आरम्भ किया जा रहा है जो इस वर्ष पूर्ण कर लिया जायेगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 के लिए रु0 80 करोड़ का प्राविधान है जिससे पेयजल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण, पुष्टाहार के क्षेत्रों में अतिरिक्त आबंटन किया जाएगा। भागीरथी नदी पर निर्मित जल विद्युत परियोजनाओं से

प्रभावित क्षेत्र एवं कमाण्ड क्षेत्र के विकास के लिए रु0 54.41 लाख का प्राविधान है। राष्ट्रीय सम विकास योजना के लिए रु0 52.50 करोड़ का प्राविधान है। सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत दूरस्थ क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के सृजन के लिए रु0 28 करोड़ का प्राविधान है।

कर्मचारी कल्याण

सरकार द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कर्मचारियों के साथ निरन्तर संवाद बनाये रखा है। अधिकांश विभागों में उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल के बीच कर्मचारियों के आबंटन का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष विभागों में भी यह कार्य अन्तिम चरण में है। अधिकारियों तथा कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियमित तथा तदर्थ आधार पर बड़ी संख्या में पदोन्नति की कार्यवाही की गई हैं। भवन निर्माण अग्रिम की सीमा रु0 7.50 लाख, मोपेड क्रय हेतु अग्रिम की सीमा रु0 16 हजार, मोटर साइकिल/ स्कूटर के लिए रु0 30 हजार

तथा मोटर कार क्रय हेतु अग्रिम की सीमा रु0 1 लाख 80 हजार कर दी गई है। व्यक्तिगत कम्प्यूटर क्रय हेतु अग्रिम की सीमा रु0 80 हजार की गई है। कर्मचारियों को देय वर्दी, छाता इत्यादि की नियमित आपूर्ति कार्यालय व्यय से सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

सामान्य प्रशासनिक सेवाएं

न्याय प्रशासन

न्यायिक कार्य के सुचारु संचालन के लिए न्यायिक भवनों का निर्माण आवश्यक है। न्यायिक कार्यों के लिए भवनों के निर्माण हेतु रु0 20 करोड़ का प्राविधान है। उत्तरांचल न्यायिक एवं विधिक अकादमी के आवासीय/ अनावासीय भवन निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है।

राजस्व प्रशासन एवं सामान्य प्रबन्धन

राजस्व प्रशासन के सुदृढीकरण के लिए नव सृजित तहसीलों के भवन निर्माण हेतु नई मांग से रु0 9 करोड़ तथा चालू कार्यों हेतु रु0 4 करोड़, पटवारी चौकियों के निर्माण के लिए रु0 3 करोड़ तथा कलेक्ट्रेट के भवनों के

निर्माण के लिए नई मांग से रु0 2 करोड़ का प्राविधान है। आपदा राहत कोष के लिए रु0 95 करोड़ की व्यवस्था है जिससे दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों एवं व्यक्तियों में तात्कालिकता के आधार पर अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान राहत सहायता वितरित की जा रही है। इसके अतिरिक्त आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों जैसे यातायात, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पेयजल तथा प्राथमिक शिक्षा से संबंधित परिसंपत्तियों की मरम्मत, पुनः निर्माण एवं पुनः स्थापना के कार्य किए जाते हैं। उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत के स्थिरीकरण हेतु रु0 100 करोड़ का प्राविधान है।

पुलिस एवं जेल

प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बलों के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही प्रदेश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा प्रबन्ध का विस्तार किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2005-2006 में नई मांग के माध्यम

से रीठासाहिब जनपद चम्पावत, लमगड़ा जनपद अल्मोड़ा, धूमाकोट तथा रिखणीखाल जनपद पौड़ी में नए थानों की स्थापना तथा दिनेशपुर जनपद ऊधमसिंह नगर व पंतनगर जनपद नैनीताल में सूचना पुलिस चौकी को उच्चीकृत कर थानों की स्थापना का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त 6 सूचना पुलिस चौकियों एवं एक देख-रेख चौकी की स्थापना का प्राविधान है। नौगांव जनपद उत्तरकाशी में फायर स्टेशन की स्थापना की जा रही है जिससे बड़कोट, पुरोला तथा यमुनोत्री यात्रा मार्ग आदि क्षेत्र को तत्काल अग्निशमन सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु रु0 30 करोड़ की व्यवस्था है। पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना हेतु रु0 4 करोड़ तथा इण्डिया रिजर्व वाहिनी की स्थापना हेतु रु0 18.20 करोड़ का प्राविधान है।

पुलिस विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु रु0 13 करोड़ का प्राविधान है। कारागारों के आधुनिकीकरण के लिए रु0 6.06 करोड़ का प्राविधान है।

होमगार्ड्स

राज्य के सीमित पुलिस बल के दृष्टिकोण से होमगार्ड्स स्वयं सेवकों का योगदान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के पारिश्रमिक के लिए रु0 6 करोड़ की व्यवस्था है। होमगार्ड्स के बीमा हेतु प्रीमियम की अदायगी के लिए रु0 2 लाख का प्राविधान है। होमगार्ड स्वयं सेवकों का मनोबल बनाये रखने के लिए होमगार्ड कल्याण कोष की स्थापना हो चुकी है तथा ड्यूटीरत होमगार्ड्स के लिए नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी से बीमा कराया गया है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश में खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए बी0पी0एल0 योजना तथा गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वालों के लिए ए0पी0एल0 योजना, अन्त्योदय योजना, अन्नपूर्णा

अन्न योजना, मध्यान्ह भोजन योजना आदि के अन्तर्गत आपूर्ति की जा रही है।

उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं के अन्तर्गत शिकायतों के निराकरण हेतु राज्य उपभोक्ता निधि का गठन किया गया है जिसके लिए नई मांग से रु0 15 लाख की व्यवस्था है। भारत सरकार द्वारा रबी विपणन सत्र 2005-06 के लिए गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु0 640 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा 2 लाख मैट्रिक टन गेहूँ खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

श्रम तथा सेवायोजन

प्रदेश में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सेवायोजकों तथा श्रमिकों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने, न्यूनतम वेतन, बोनस आदि के भुगतान सुनिश्चित कराने आदि के माध्यम से बेहतर कार्य संस्कृति एवं औद्योगिक सम्बन्ध बनाए जाने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत सीमान्त जनपद चमोली तथा पिथौरागढ़ में सचल रोजगार परामर्श केन्द्र की स्थापना, विकलांग अभ्यर्थियों हेतु प्रदेश के समस्त रोजगार परामर्श केन्द्रों में विशेष इकाई की व्यवस्था, समस्त रोजगार कार्यालय / रोजगार केन्द्रों की नेटवर्किंग, जनपद देहरादून में राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों का सर्वेक्षण, श्रम कल्याण निधि का गठन एवं श्रमिकों के हित को देखते हुए राज्य सलाहकार संविदा बोर्ड हेतु आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था की गई है। श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न आयोजनागत योजनाओं के संचालन हेतु रु0 13.37 करोड़ का प्राविधान है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क

सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए किसान मेला प्रदर्शनियों के आयोजन, गीत एवं नाट्य योजना आदि के अन्तर्गत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में प्रेस क्लबों की स्थापना के लिए रु0 10 लाख एवं

पत्रकार कल्याण कोष के लिए रु0 5 लाख की व्यवस्था है जिन्हें बढ़ाकर दोगुना किया जाएगा। क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की निरन्तर एवं त्वरित जानकारी प्राप्त करने हेतु समाचार एजेंसियों की न्यूज स्कैन एवं बैवसाइट समाचार सेवा का उपयोग किये जाने हेतु नई मांग से रु0 22 लाख का प्राविधान है।

समाज के निर्बल वर्गों के हितार्थ कार्यक्रम

जीवन उपयोगी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वृद्धावस्था, विधवा/ निराश्रित महिला व विकलांगों के लिए पेंशन की मासिक दर जो वर्तमान में रु0 125 है में वृद्धि कर सरकार ने रु0 250 प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। जिससे लगभग 1 लाख 48 हजार लाभार्थी लाभान्वित होंगे।

अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा व शिक्षण संस्थाओं व छात्रों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु मुस्लिम शिक्षा मिशन की स्थापना की गई है और इस

उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस वर्ष रु0 50 लाख की धनराशि आबंटित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

अनुसूचित जाति व जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्गों आदि के कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों की छात्रवृत्ति में शत-प्रतिशत वृद्धि कर इसे दोगुना किए जाने का सरकार ने निर्णय लिया है। जिससे प्रदेश में लगभग 5 लाख 90 हजार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

अनुसूचित जाति व जनजाति के आवासहीन परिवारों को जहां आवश्यकता है आवास स्थल क्रय करके उपलब्ध कराने की नई योजना प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त आवासहीन परिवारों को आच्छादित किया जाएगा। समान्य नीति के अनुसार आवासीय स्थल महिलाओं को ही उपलब्ध कराया जाएगा।

भूमि उपलब्ध कराने के साथ-साथ वर्ष 2005-06 में इंदिरा आवास योजना के तहत ऐसे अधिकतम परिवारों को ग्राम्य विकास विभाग द्वारा शामिल किया जाएगा।

फिर भी अतिरिक्त आवास निर्माण हेतु धनराशि की आवश्यकता है तो समाज कल्याण विभाग द्वारा व्यवस्था की जाएगी।

अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों के लिए एकलव्य विद्यालय चकराता ब्लाक में स्थापित करने के लिए रु0 2 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के लिए दो, अलग-अलग अनुदानों के अन्तर्गत सभी योजनाओं के लिए एक ही स्थान पर विशिष्ट प्राविधान किया गया है।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ करते हुए नवयुवकों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण, मार्जिन मनी आदि की व्यवस्था की जा रही है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए एक विशिष्ट छात्रवृत्ति योजना तथा एम0फिल0 और पी0एच0डी0 के लिए राजीव गाँधी

फैलोशिप आरम्भ करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। योजना के मार्ग-दर्शक सिद्धान्त प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा योजना का क्रियान्वयन कर अधिकाधिक छात्रों को लाभान्वित किया जाएगा।

बी०पी०एल० परिवारों के लिए जो सार्वजनिक बीमा योजना है उसके अन्तर्गत प्रत्येक बी०पी०एल० परिवार द्वारा देय प्रीमियम पूर्ण रूप से शासन द्वारा वहन किया जा रहा है। अब तक 640 दावे स्वीकृत कराए जा चुके हैं जिसके अन्तर्गत लगभग रु० 1.28 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। इस योजना का अधिक प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर शत-प्रतिशत दावों का समयबद्ध भुगतान कराया जाएगा।

व्याधि निधि के अन्तर्गत जो भी निःसहाय व्यक्ति गम्भीर रोगों की चिकित्सा के लिए मदद चाहते हैं- उन्हें आवश्यक धनराशि पूर्ण रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

मान्यवर,

इस बजट के माध्यम से जहाँ हमारी सरकार ने राज्य में विकास की दर में वृद्धि लाने के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं आर्थिक गतिविधियों को उच्च प्राथमिकता दी है, वहीं पर हमने एक समतामूलक समाज की अवधारणा को गति प्रदान करने के लिए समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान एवं उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं।

सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत बीमा योजनाओं से समाज के अधिक से अधिक कमजोर वर्गों को आच्छादित किया गया है। जनश्री बीमा के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को आच्छादित किया गया है जिससे प्रदेश के सर्वाधिक कमजोर वर्गों यथा— राजी, बोक्सा, थारु आदि जनजातियों तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा का अवसर मिला है। लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए बीमा योजना, होमगार्ड्स

बीमा योजना, विद्यार्थी बीमा सुरक्षा योजना, पत्रकार कल्याण कोष आदि के माध्यम से अधिक से अधिक व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। कृषि फसल बीमा योजना को विस्तारित एवं प्रभावी बनाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत असाध्य रोगों के इलाज के लिए भी सहायता की व्यवस्था की गई है। व्यापारियों के लिए भी अगले वर्ष से बीमा योजना प्रस्तावित है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व के सैनिकों एवं उनकी विधवाओं की पेंशन में वृद्धि की जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं स्वरोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराकर तथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों आदि के लिए जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना लागू कर भी उन्हें स्वावलम्बी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है ताकि समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाकर उन्हें शोषण से बचाया जा सके व सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।

“अयं सु तुभ्यं वरुण स्वधावो
हृदि स्त्रोम उपश्रितश्चिदस्तु।
शं नः क्षेमे शमु योगे नोअस्तु
यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥”

अर्थात्— “हे अन्नवान वरुण देव! हमारा यह स्त्रोत
आपके हृदय में स्थान पाए। आप प्रसन्न होकर हमारे क्षेत्र
एवं उपलब्धियों को कल्याणकारी बनाएं। आप अपने
कल्याणकारी, रक्षण-साधनों द्वारा सदैव हमारा पालन
करें।”

मान्यवर,

अब मैं, वित्तीय वर्ष 2005-06 के बजट अनुमानों के
बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूंगा।

वर्ष 2005-06 के बजट का वित्तीय विवरण

प्राप्तियाँ

वर्ष 2005-06 में रु0 8223.66 करोड़ की कुल
प्राप्तियाँ अनुमानित हैं।

कुल प्राप्तियों में रु0 6004.94 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ तथा रु0 2218.72 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

वर्ष 2005—06 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश रु0 2579.64 करोड़ है। इसमें केन्द्रीय करों में राजस्व का अंश रु0 921.92 करोड़ सम्मिलित है।

व्यय

वर्ष 2005—06 में राज्य को ऋणों के प्रतिदान पर लगभग रु0 428.40 करोड़, ब्याज की अदायगी के रूप में लगभग रु0 891.33 करोड़, राज्य कर्मचारियों के वेतन-भत्तों आदि पर लगभग रु0 1734.37 करोड़ सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों, कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग रु0 689.60 करोड़, पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्तिक लाभों के रूप में लगभग रु0 506.01 करोड़ व्यय अनुमानित है।

वर्ष 2005—06 में कुल व्यय रु0 8706.52 करोड़ अनुमानित है।

राजस्व
प्राप्तिय
राजस्व क
में राज
दान प
रूप
यों
करोड़
रियों
ड, पेंश
लगभ
करोड़

कुल व्यय में रु0 6438.53 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय है तथा रु0 2267.99 करोड़ पूंजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि का घाटा

समेकित निधि में रु0 3477.14 करोड़ आयोजनागत पक्ष में तथा रु0 5229.38 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में व्यय प्रस्तावित है। राजस्व व्यय में रु0 1725.06 करोड़ आयोजनागत तथा रु0 4713.47 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में अनुमानित है। इसी प्रकार रु0 1752.08 करोड़ आयोजनागत पूंजी लेखा तथा रु0 515.91 करोड़ आयोजनेत्तर पूंजी लेखा प्रस्तावित है।

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात वर्ष 2005-06 में अनुमानित घाटा रु0 482.86 करोड़ है।

लोक-लेखा से समायोजन

वर्ष 2005-06 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए रु0 375.00 करोड़ लोक-खाता से समायोजित किए जायेंगे।

अंतिम शेष

वर्ष 2005-06 में प्रारम्भिक ऋणात्मक शेष रु0 329.27 करोड़ को हिसाब में लेते हुए अन्तिम ऋणात्मक शेष रु0 429.23 करोड़ होना अनुमानित है। इस ऋणात्मक शेष को व्यय में कमी लाकर तथा आय के स्रोतों में वृद्धि कर कम किए जाने का प्रयास किया जाएगा।

मान्यवर,

जैसा कि मैंने समय-समय पर इस सम्मानित सदन को अवगत कराया है, यह नया राज्य प्रारम्भ में गम्भीर वित्तीय असंतुलन की स्थिति में था और उचित वित्तीय प्रबन्धन तथा राजस्व में वृद्धि कर हमने इन कठिनाईयों के होते हुए भी एक सम्मानजनक विकास वृद्धि दर प्राप्त की है। आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए समाज के सभी वर्गों का पूर्ण सहयोग आवश्यक है। मैं इस सम्मानित सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे विकास की इस प्रक्रिया में

एकजुट होकर अपना योगदान दें ताकि हम तेजी से आगे बढ़ सकें।

“संकल्प पूर्ण होने को है
श्रम की गंगा को बहने दो।”

मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रदेश के विकास के कार्यक्रमों में मुझे शासन के अपने सहयोगियों के साथ-साथ प्रतिपक्ष के सम्मानित सदस्यों का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा ताकि हम प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं की पूर्ति कर सकें।

“माना पथ अभी बहुत लम्बा
चलने से मंजिल मिलती है।
निश्चय, विश्वास परिश्रम के
आगे मुश्किल न ठहरती है।।”

मान्यवर,

अन्त में, मैं, मंत्रिपरिषद के अपने समस्त सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा जिनके सहयोग एवं परामर्श से बजट प्रस्तुत करना सम्भव हो सका। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जो सहायता

मुझे बजट बनाने और उसको समय से प्रस्तुत करने में दी है, उसके लिए मैं, हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। महालेखाकार, उत्तरांचल एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति उनके द्वारा इस कार्य में दी गई सहायता के लिए भी कृतज्ञ हूँ। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके अथक परिश्रम एवं सहयोग से बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया जा सका।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं वर्ष 2005-06 का बजट तथा एक माह के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करता हूँ।

फाल्गुन 30, शक संवत् 1926

तदनुसार

21 मार्च, 2005